मूल वाद में अंतिम डिक्री

(आदेश 20 नियम 6, 7 जा,दी.)

न्यायालय सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

पीठासीन अधिकारी :— श्री रवीन्द्र कुमार मेघवाल, आई.ए.एस.

प्रकरण सं. 94/2021 वादपत्र धारा 53, 88 आर.टी.एक्ट.

1— नारायण पिता नवला डांगी नि. बोहेड़ा तहसील बड़ीसादड़ी
2— कालुलाल पिता नवला डांगी नि. बोहेड़ा तहसील बड़ीसादड़ी
3— अम्बालाल पिता नवला डांगी नि. बोहेड़ा तहसील बड़ीसादड़ी
4— गीता बाई पत्नि नवला डांगी नि. बोहेड़ा तहसील बड़ीसादड़ी

—वादीगण

बनाम

1— रामा पिता गणेश डांगी नि. बोहेड़ा तहसील बड़ीसादड़ी
2— शम्भु पिता गणेश डांगी नि. बोहेड़ा तहसील बड़ीसादड़ी
3— नाथू पिता भेरा डांगी नि. बोहेड़ा तहसील बड़ीसादड़ी
4— राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार बड़ीसादड़ी

—प्रतिवादीगण

वादीगण की ओर से वकील श्री डी.के. वैष्णव तथा प्रतिवादीगण की ओर से Exparte की उपस्थिति में यह वाद आज दिनांक को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अंतिम डिक्री के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि मौजा बोहेड़ा पटवार हल्का बोहेड़ा की उक्त प्रकरण संख्या से संबंधित वादग्रस्त आराजीयात का दावा सारहीन होने से खारिज किया जाता है।

इस वाद के खर्चे......X...... प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित......X...... को दी जावे। यह आज दिनांक 23.02.2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी की गयी।

मोहर

न्यायालय सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी (चित्तौड़गढ़)
सत्यमेव जयते

रवीन्द्र कुमार मेघवाल (आई.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
बड़ीसादड़ी

\

न्यायालय सहायक कलक्टर बडीसादडी

पीठासीन अधिकारी :– रवीन्द्र कुमार मेघवाल, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या :- 94/2021 ई.रे.

1– नारायण पिता नवला डांगी नि. बोहेड़ा तहसील बडीसादडी

2– कालुलाल पिता नवला डांगी नि. बोहेड़ा तहसील बड़ीसादड़ी

3– अम्बालाल पिता नवला डांगी नि. बोहेड़ा तहसील बड़ीसादड़ी

4– गीता बाई पत्नि नवला डांगी नि. बोहेड़ा तहसील बड़ीसादड़ी

–वादीगण

बनाम

1– रामा पिता गणेश डांगी नि. बोहेड़ा तहसील बड़ीसादड़ी

2– शम्भु पिता गणेश डांगी नि. बोहेड़ा तहसील बड़ीसादड़ी

3– नाथू पिता भेरा डांगी नि. बोहेड़ा तहसील बड़ीसादड़ी

4– राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार बड़ीसादड़ी

–प्रतिवादीगण

वाद पत्र अर्न्तगत धारा 53, 88 रा0टी0एक्ट

// निर्णय // **दिनांक :– 23/02/2026**

वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि –

1– मौजा बोहेड़ा में स्थित आराजी नम्बर 2783 रकबा एक बीघा 9 बिस्वा लगानी 10 रूपया 50 पैसा जिसके वर्तमान नम्बर 4149 रकबा 0.3100 हैक्टेयर लगानी 13.02 रूपया स्थित है ।

2– वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित आराजी में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का शामलाती 1/2 हक हिस्सा दर्ज रिकार्ड था जिन्होंने अपना उक्त हिस्सा 160000/– एक लाख साठ हजार रूपया में जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के दिनांक 23.06.2014 को वादीगण के पिता नवला को विक्रय कर कब्जा सुपुर्द कर दिया तभी से नवला काबिज था तथा नवला की मृत्यु करीब 5 वर्ष पुर्व हो चुकी है मृत्यु के बाद वादीगण संयुक्त रूप से उक्त आराजी के 1/2 हिस्से पर काश्त कर रहे है उक्त आराजी वादीगण के पिता की खरीद शुदा है इसलिये उक्त 1/2 हिस्सा वादीगण के खातेदारी में घोषित की जाकर राजस्व रिकार्ड में अंकित कराई जावे।

3– प्रतिवादी संख्या 1 रामा पिता गणेश का उक्त तथ्य की बखुबी जानकारी थी कि वादग्रस्त आराजी का 1/2 हिस्सा रामा एवं शम्भु ने मिलकर जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के वादीगण के पिता को विक्रय कर दिया है उसके बाद भी उक्त आराजी में रामा ने अपना 1/4 हिस्सा अपने भाई शम्भु को जरिये रजिस्टर्ड हक त्याग के हकपरित्याग कर दिया जबकि उक्त आराजी के 1/2 हिस्से पर वादीगण काबिज है तथा हक त्याग के आधार पर रामा का 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 शम्भु के नाम पर दर्ज कर दिया है इसलिये उक्त हक परित्याग पत्र वादीगण के अधिकारों पर बेअसर होकर निश्प्रभावी होने से आराजीयात का 1/2 हिस्सा वादीगण की खातेदारी में घोषित किया जाना न्यायोचित है।

4– वाद पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित आराजीयात प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का संयुक्त खातेदारी में दर्ज है तथा उक्त आराजी वादीगण के पिता की खरीद शुदा है तथा मौके पर काबिज है इसलिये वादग्रस्त आराजी

सहायक कलेक्टर
बडीसादड़ी

का 1/2 हिस्सा वादीगण का तथा 1/2 हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या 3 नाथु का है उक्त हिस्से अनुसार व मौके पर कब्जे अनुसार आराजी का बंटवाड़ा करवाया जावे व इसी अनुसार आराजी वादीगण के अलग खातेदारी में दर्ज करायी जावे।

अतः निवेदन है कि वादीगण का वाद निम्नानुसार डिकी फरमाया जावे।

क– वाद पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित आराजी का 1/2 हिस्सा वादीगण की खातेदारी में घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 2 शम्भु का नाम राजस्व रिकार्ड से हटाया जावे।

ख– वाद पत्र की कलम संख्या 3 में वर्णित आराजी में वादीगण का शामलाती 1/2 शामलाती तथा प्रतिवादी संख्या 3 का 1/2 हिस्सा अनुसार व मौके पर कब्जे अनुसार आराजी का बंटवाडा करवाया जावे तथा 1/2 हिस्सा वादीगण के अलग खातेदारी में दर्ज कराया जावे।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया । प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन से तलब किया गया । प्रतिपादीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। पत्रावली साक्ष्यवादी में नियत की गई। साक्ष्यवादी में किसी प्रकार का कोई शपथ पत्र पेश नहीं किया गया।

वकील वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । वकील वादी द्वारा पत्रावली में कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया है। न ही काई प्रदर्श अंकित कराये गये है। अतः उक्त प्रकरण साक्ष्य के अभाव में सारहीन होने से खारीज किया जाता है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री मुर्तिब हो।
निर्णय आज दिनांक 23.02.2026 को सरे इजलास लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलेक्टर बड़ीसादड़ी
सत्यमेव जयते
बड़ीसादड़ी (चित्तौड़गढ़)

रवीन्द्र कुमार मेघवाल (आई.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
बडीसादडी